न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं.–01, इटावा।

परिवाद सं.–275/2024

नैना देवी बनाम असित कुमार आदि

29.07.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी श्रीमती नैना देवी मय अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित है। प्रार्थिनी की ओर से एक प्रार्थनापत्र 8 ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी उक्त वाद में वादिनी है। प्रार्थिनी का उक्त वाद के विपक्षी असित कुमार के साथ आपसी समझौता हो गया है, प्रार्थिनी अब उक्त वाद को नहीं चलाना चाहती है। प्रार्थिनी द्वारा उपरोक्त वाद वापस किये जाने की याचना की गयी।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थिनी नैना देवी द्वारा अपने ससुरालीजन के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा–12 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम दायर किया था। प्रार्थिनी आज न्यायालय उपस्थित आयी और उसके द्वारा मुकदमा वापस लेने की याचना की गयी। ऐसी दशा में न्यायहित को देखते हुए प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम प्रत्याहरित किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी श्रीमती नैना देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 8 ख स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत परिवाद प्रत्याहरित किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार की जाए ।

(उमेश यादव)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कोर्ट सं0 1, इटावा।

Digitally signed by Umesh Yadav
Date: 2024.08.02 11:57:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court